इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2024—ज्येष्ठ 24, शक 1946

भाग ४

विषय–सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)–कुछ नहीं

भाग ४ (ख)–कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

श्रम विभाग

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2024

अधिसूचना क्रमांक/म.स.क.म.म.-2024, 1545.- भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 22 (h) सहपठित म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम 2002 के नियम 277, 278 एवं 279 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये **"भवन एवं अन्य संनिर्माण दिव्यांग सहायता अनुदान योजना, 2024"** अधिसूचित करता है:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना**
   a. यह योजना "**भवन एवं अन्य संनिर्माण दिव्यांग सहायता अनुदान योजना, 2024**" कहलाएगी।
   b. यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू होगी।
   c. यह योजना दिनांक 01.04.2023 से लागू होगी।
   d. यह योजना भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों, जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अंतर्गत परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक हैं, पर लागू होगी।
2. **परिभाषाएं- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-**
   a. **'अधिनियम'**- का आशय 'भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 से है।
   b. **'नियम'**- का आशय म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम 2002 से है।
   c. **'बोर्ड या मण्डल'**- से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित 'मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल' से है।
   d. **'सचिव'** से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त 'मण्डल के सचिव' से है।
   e. **'हिताधिकारी'** से आशय 'समस्त वैध परिचय पत्रधारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों एवं उनके पंजीयन कार्ड में सम्मिलित आश्रित परिवार के सदस्य' से है।
   f. **'दिव्यांग'** से आशय "दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय" भारत सरकार द्वारा जारी Unique Disability ID (UDID) (दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक) धारक व्यक्ति से है।
   g. इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में जिन्हें अधिनियम या नियम में परिभाषित किया गया है वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं।
3. **योजना का उद्देश्य** - इस योजना का उद्देश्य मंडल में पंजीकृत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों एवं उनके पंजीयन कार्ड में सम्मिलित आश्रित परिवार के सदस्यों की दिव्यांगता की स्थिति में उनके आवागमन हेतु मोटर चालित तिपहिया साइकिल एवं अन्य सभी दिव्यांग उपकरण क्रय करने पर अनुदान राशि प्रदान करना है।

4. **योजना अंतर्गत हितलाभ राशि -** आवेदक को "मोटर चालित तिपहिया साइकिल एवं अन्य सभी दिव्यांग उपकरण" क्रय करने पर क्रय मूल्य की 100 प्रतिशत राशि (अधिकतम 35,000/- रूपये) मंडल द्वारा अनुदान के रूप में प्रदाय की जावेगी।

5. **योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता की शर्तें -**
   a. पंजीकृत श्रमिक वास्तविकता में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक होना चाहिये।
   b. पंजीकृत श्रमिक अथवा उसके पंजीयन कार्ड में सम्मिलित सदस्य का दिव्यांगता हेतु "दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय" भारत सरकार द्वारा जारी Unique Disability ID (UDID) होना चाहिये।
   c. UDID कार्ड में दिव्यांगता का प्रतिशत 40% अथवा इससे अधिक होना चाहिए।
   d. UDID कार्ड की वैधता स्थाई (Permanent) होनी चाहिये।
   e. UDID कार्ड के जारी होने का दिनांक, दिनांक 01.04.2023 अथवा इसके पश्चात का होना चाहिये।
   f. इस योजना अंतर्गत केवल ALIMCO (Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India) द्वारा निर्मित मोटर चालित तिपहिया साइकिल एवं अन्य दिव्यांग उपकरण के क्रय पर ही हितलाभ दिया जायेगा।
   g. निर्माण श्रमिक पंजीयन का दिनांक मोटर चालित तिपहिया साइकिल एवं अन्य दिव्यांग उपकरण क्रय के दिनांक के पूर्व का होना अनिवार्य है।
   h. क्रय किया गया मोटर चालित तिपहिया साइकिल क्रय दिनांक से 03 वर्ष तक विक्रय से प्रतिबंधित रहेगा।
   i. पंजीकृत श्रमिक एवं उसके पंजीयन कार्ड में सम्मिलित सदस्यों को प्रति सदस्य के मान से योजना का लाभ केवल 01 बार (प्रति पंजीयन कार्ड अधिकतम 02 बार) देय होगा।
   j. क्रय किये गये मोटर चालित तिपहिया साइकिल पर आवेदक द्वारा "म.प्र.भ.सं.क.क. मंडल के अनुदान से क्रय" अनिवार्य रूप से लिखवाया जावेगा। पदाभिहित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा।

6. **योजनांतर्गत सहायता राशि भुगतान की प्रक्रिया-**
   a. आवेदक द्वारा मोटर चालित तिपहिया साइकिल एवं अन्य दिव्यांग उपकरण क्रय कर मंडल के पोर्टल पर अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।
   b. आवेदक द्वारा आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे -
      i. पंजीकृत श्रमिक अथवा उसके पंजीयन कार्ड में सम्मिलित सदस्य का दिव्यांगता हेतु दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी Unique Disability ID (UDID)।

ii. मोटर चालित तिपहिया साइकिल अथवा अन्य दिव्यांग उपकरण के क्रय का बिल।

iii. पंजीकृत श्रमिक अथवा उसके पंजीयन कार्ड में सम्मिलित सदस्य की मोटर चालित तिपहिया साइकिल अथवा अन्य दिव्यांग उपकरण के साथ फोटो जिसमें मोटर चालित तिपहिया साइकिल अथवा अन्य दिव्यांग उपकरण स्पष्ट प्रदर्शित हो।

c. पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदक के वास्तविकता में निर्माण श्रमिक होने संबंधी सत्यापन कराया जावेगा। तत्पश्चात श्रमिक पंजीयन की वैधता अवधि, Unique Disability ID (UDID), मोटर चालित तिपहिया साइकिल अथवा अन्य दिव्यांग उपकरण क्रय करने का बिल, मोटर चालित तिपहिया साइकिल अथवा अन्य दिव्यांग उपकरण क्रय करने का दिनांक, मोटर चालित तिपहिया साइकिल अथवा अन्य दिव्यांग उपकरण के मालिक का नाम इत्यादि जानकारी की जांच की जायेगी।

d. पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदक को मोटर चालित तिपहिया साइकिल अथवा अन्य दिव्यांग उपकरण सहित उपस्थित होने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा।

e. जांच उपरांत पदाभिहित अधिकारी द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में हितलाभ का भुगतान किया जायेगा।

7. **आवेदन के निराकरण की समय-सीमा -** पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन का निराकरण अनिवार्यतः आवेदन प्राप्ति दिनांक से 30 दिवस की अवधि में किया जायेगा।

8. **पदाभिहित अधिकारी** - सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी, संभाग/जिला श्रम कार्यालय

9. **लाभान्वित हितग्राहियों का रेंडम वेरीफिकेशन** - इस योजना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लाभान्वित किए गए हितग्राहियों में से न्यूनतम 10 प्रतिशत हितग्राहियों का रेंडम वेरीफिकेशन किया जाएगा। यह वेरीफिकेशन किसी हितग्राही विशेष के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर भी की जा सकेगी। यदि वेरीफिकेशन में हितग्राही अपात्र पाया जाता है और उसके द्वारा दी गई स्व-घोषणा असत्य पाई जाती है तो उस व्यक्ति से ब्याज सहित राशि की वसूली की जाकर शासन के नियमानुसार वैधानिक/दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

10. **विसंगति का निवारण-** योजना में उल्लेखित शर्तों/ नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति मे मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

अधिसूचना क्रमांक/भ.स.क.म.म.-2024, ..1550..- भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 22 (h) सहपठित म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम 2002 के नियम 277, 278 एवं 279 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये **"भवन एवं अन्य संनिर्माण ई-स्कूटर हेतु अनुदान योजना, 2024"** अधिसूचित करता है:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना**
   a. यह योजना **"भवन एवं अन्य संनिर्माण ई-स्कूटर हेतु अनुदान योजना, 2024"** कहलाएगी।
   b. यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू होगी।
   c. यह योजना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।
   d. यह योजना भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों, जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अंतर्गत परिचय पत्र धारी निर्माण श्रमिक हैं, पर लागू होगी।
2. **परिभाषाएं-इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-**
   a. **'अधिनियम'**- का आशय 'भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 से है।
   b. **'नियम'**- का आशय म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तो का विनियमन) नियम 2002 से है।
   c. **'बोर्ड या मण्डल'**- से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित 'मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल' से है।
   d. **'सचिव'** से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त 'मण्डल के सचिव' से है।
   e. **'हिताधिकारी'** से आशय 'समस्त वैध परिचय पत्रधारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों' से है।
   f. इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में जिन्हें अधिनियम या नियम में परिभाषित किया गया है वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं।
3. **योजना का उद्देश्य -** इस योजना का उद्देश्य मंडल में पंजीकृत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों को उनके कार्यस्थल तक आवागमन हेतु ई-स्कूटर वाहन क्रय करने के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है।
4. **योजना अंतर्गत हितलाभ राशि -** पंजीकृत निर्माण श्रमिक को "ई-स्कूटर" वाहन क्रय करने हेतु ई-स्कूटर के मूल्य की 50 प्रतिशत राशि (अधिकतम 40,000/- रूपये) मंडल द्वारा अनुदान के रूप में प्रदाय की जावेगी।

5. योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता की शर्तें -

a. आवेदक वास्तविकता में निर्माण श्रमिक होना चाहिये।

b. इस योजना अंतर्गत केवल ऐसे ई-स्कूटर के क्रय पर हितलाभ दिया जायेगा जिन ई-स्कूटरों के लिए आर.टी.ओ का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।

c. पंजीकृत निर्माण श्रमिक के स्वयं के नाम से ई-स्कूटर क्रय किये जाने पर ही हितलाभ देय होगा अर्थात ई-स्कूटर का रजिस्ट्रेशन पंजीकृत निर्माण श्रमिक के नाम से होना चाहिए।

d. निर्माण श्रमिक का 05 वर्ष तक सतत रूप से वैध पंजीयन होने पर ही हितलाभ देय होगा।

e. निर्माण श्रमिक पंजीयन का दिनांक ई-स्कूटर क्रय के दिनांक के पूर्व का होना अनिवार्य है।

f. क्रय किया गया वाहन क्रय दिनांक से 03 वर्ष तक विक्रय से प्रतिबंधित रहेगा।

g. योजना का लाभ जीवनकाल में मात्र 01 बार ही देय होगा।

h. क्रय किये गये ई-स्कूटर पर आवेदक द्वारा "म.प्र.भ.स.क.क. मंडल के अनुदान से क्रय" अनिवार्य रूप से लिखवाया जावेगा।

6. योजनांतर्गत सहायता राशि भुगतान की प्रक्रिया-

a. आवेदक द्वारा ई-स्कूटर क्रय कर मंडल के पोर्टल पर अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

b. आवेदक द्वारा आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे -

i. ई-स्कूटर का रजिस्ट्रेशन कार्ड।

ii. ई-स्कूटर क्रय का बिल।

iii. श्रमिक की ई-स्कूटर के साथ फोटो जिसमें ई-स्कूटर का रजिस्ट्रेशन क्रमांक स्पष्ट प्रदर्शित हो।

iv. ड्राईविंग लाईसेंस की फोटो।

c. पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदक के वास्तविकता में निर्माण श्रमिक होने संबंधी सत्यापन कराया जावेगा। तत्पश्चात श्रमिक पंजीयन की वैधता अवधि, ई-स्कूटर के रजिस्ट्रेशन कार्ड में स्कूटर का प्रकार, ई-स्कूटर का रजिस्ट्रेशन क्रमांक, रजिस्ट्रेशन दिनांक, ई-स्कूटर के मालिक का नाम, इत्यादि संबंधी जानकारी की जांच की जायेगी।

d. पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदक को ई-स्कूटर सहित उपस्थित होने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा।

e. जांच उपरांत पदाभिहित अधिकारी द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में हितलाभ का भुगतान किया जायेगा।

f. आवेदक द्वारा योजनांतर्गत हितलाभ प्राप्त होने पर ई-स्कूटर पर "म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अनुदान से क्रय" लिखवाया जावेगा। पदाभिहित अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा।

7. **आवेदन के निराकरण की समय-सीमा** - पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन का निराकरण अनिवार्यत: आवेदन प्राप्ति दिनांक से 10 दिवस की अवधि में किया जायेगा।
8. **प्रति वित्तीय वर्ष लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों की संख्या** - इस योजना अंतर्गत प्रति वित्तीय वर्ष पहले आवेदन करने वाले आवेदकों में से अधिकतम 1000 हितग्राहियों (अधिकतम 60 ई-स्कूटर दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित) को ही "पहले आओ - पहले पाओ" के आधार पर लाभ प्रदाय किया जावेगा। शेष आवेदकों के आवेदन उस वित्तीय वर्ष हेतु समाप्त हो जायेंगे एवं ऐसे आवेदकों को अगले वित्तीय वर्ष में योजना अंतर्गत हितलाभ हेतु पुन: आवेदन करना होगा।
9. **पदाभिहित अधिकारी** - सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी
10. **लाभान्वित हितग्राहियों का रेंडम वेरीफिकेशन** - इस योजना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लाभान्वित किए गए हितग्राहियों में से न्यूनतम 10 प्रतिशत हितग्राहियों का रेंडम वेरीफिकेशन किया जाएगा। यह वेरीफिकेशन किसी हितग्राही विशेष के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर भी की जा सकेगी। यदि वेरीफिकेशन में हितग्राही अपात्र पाया जाता है और उसके द्वारा दी गई स्व-घोषणा असत्य पाई जाती है तो उस व्यक्ति से ब्याज सहित राशि की वसूली की जाकर शासन के नियमानुसार वैधानिक/दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।
11. **विसंगति का निवारण**- योजना में उल्लेखित शर्तों/ नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति मे मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम होगा।

रत्नाकर झा, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2024.